आँकड़ा संग्रह प्रपत्र (डी.सी.एफ.)
जिला शैक्षिक सूचना–प्रणाली

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

शैक्षणिक सत्र 2017-18

आधार तिथि **30 Sep. 2017**

विद्यालय का कोड	**09370308105.**
विद्यालय का नाम	SANSKAR VALLY ACAKMY MASORAKALAN (PRE TO
जिले का नाम	LALITPUR
राजस्व प्रखण्ड / ब्लॉक का नाम	JAKHORA
शैक्षणिक प्रखण्ड / ब्लॉक का नाम	
राजस्व गाँव का नाम / वार्ड संख्या	MASAURAKALAN
पिन कोड	284403
संकुल संसाधन केन्द्र का नाम (CRC)	
राजस्व पंचायत / नगर का नाम	
विद्यालय की श्रेणी	Upper Primary with grades 1 to 8
विद्यालय का प्रबन्धन	Private Unaided
विद्यालय का प्रकार	Co-Educational
नगरपालिका का नाम	
टोला / मुहल्ला / कस्बा का नाम	
विधान सभा क्षेत्र का नाम	
शहर का नाम	

उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद

सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय,
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226007
फोन नं. 0522–2780576, 2780995, 2780384 फैक्स: 0522–2781215
E-mail : spdup@rediffmail.com, upefaspo@gmail.com
website : www.upefa.com

School Report Cards available on www.schoolreportcards.in

Printed using U-DISE software, designed and developed by NUEPA, New Delhi

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर।

पत्रांक / बे0 / मान्यता / 189-93 / 2016–17 दिनांक 12.04.2017

प्रबंधक

संस्कार वैली एकेडमी मसौराकला, U-DISE CORD : 09370308105.

विकासखण्ड–जखौरा जनपद–ललितपुर।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र। U-DISE CODE : 09370308105

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 20.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं **संस्कार वैली एकेडमी मसौराकला, विकासखण्ड–जखौरा जनपद–ललितपुर को तारीख 01.04.2017 से तारीख 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राइमरी से कक्षा 08 तक के लिए अनंतिम (अंग्रेजी माध्यम)** मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25 प्रतिशत** तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताऐं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधांऐं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–	2 एकड़
कुल निर्मित क्षेत्र–	100000 वर्गफीट
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल–	–
कक्षाओं की संख्या–	10
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडारग्रह के लिए कक्ष–	01
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–	है
पेयजल सुविधा–	हैण्डपम्प।
मिड्डे मील पकाने के लिए रसोई––––	–
बाधारहित पहुॅच–	है

अध्यापन पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता– है

9–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षांए नहीं चलाई जाएंगी।

10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टी, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक...है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट यदि सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के पत्र अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तों के संतत् अनुपालन को सुनिश्श्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

16–अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यकम के अनुसार

पठन–पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन–पाठन न कराया जाय और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय।

17–प्रत्येक कक्षा अनुभाग के लिये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका होना आवश्यक है। विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया एवं सफाई की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है। विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी।

18–मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों एवं लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन का भुगतान, अध्यापक/कर्मचारी कल्याणकारी योजना अंशदान वहन करने के लिये पर्याप्त हों। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क व मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक वचत न हो। शिक्षण शुल्क में वृद्वि 03 वर्ष तक नहीं की जायेगी।

निम्नांकित मदों में शुल्क किया जा सकता है–

1–शिक्षक शुल्क 2–मंहगाई शुल्क 3–विकास शुल्क 4–बिजली पानी आदि 5–पुस्तकालय, वाचनालय 6–विज्ञान शुल्क 7–श्रव्य शुल्क 8–क्रीड़ा शुल्क 9– परीक्षा/मूल्यांकन 10–विद्यालय समारोह/उत्सव 11–विशेष विषयों की शिक्षा–कम्प्यूटर/संगीत आदि।

नोट–पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा केपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।

भवदीय

(सन्तोष कुमार राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
ललितपुर।

पृष्ठांकन/ /2016–17 तद्दिनांकित्

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेि"ात।

1–सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाइ।
2–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झांसी मण्डल झांसी।
3–जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
4–खण्ड शिक्षा अधिकारी–जखौरा, जनपद–ललितपुर।

(सन्तोष कुमार राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
ललितपुर।